भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 308
दिनांक 04 फरवरी, 2025/ 15 माघ, 1946 (शक) को उत्तर के लिए

पत्तनों पर ई-वीजा सुविधाएं

†308. श्री श्रीभरत मतुकुमिल्लिः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सम्पूर्ण देश के पत्तनों पर ई-वीजा सुविधाएं जारी किए जाने की वर्तमान स्थिति क्या है और इसमें शामिल किए गए पर्यटकों की श्रेणियां और राष्ट्रीयताएं क्या हैं;
(ख) सरकार द्वारा चुनिंदा प्रमुख पत्तनों जैसे मुम्बई, कोचीन, मोरमुगांव, चेन्नई आदि में क्रूज पर्यटकों के लिए ई-वीजा सुविधाएं प्रदान करने के लिए क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं/अपनाए गए हैं और इन पत्तनों के लिए चयन प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार का विशाखापत्तनम पोर्ट ट्रस्ट (वीपीटी) जैसे अतिरिक्त प्रमुख पत्तनों को ई-वीजा सुविधाएं प्रदान करने का विचार है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री बंडी संजय कुमार)

(क) से (घ): वर्तमान में, 37 निर्दिष्ट प्रवेश/निकास स्थानों के माध्यम से प्रवेश हेतु 168 देशों के नागरिकों के लिए इलेक्ट्रॉनिक यात्रा प्राधिकरण (ईटीए) के साथ इलेक्ट्रॉनिक वीजा (ई-वीजा) उपलब्ध है। इसमें ई-टूरिस्ट वीजा, ई-बिजनेस वीजा, ई-कॉन्फ्रेंस वीजा, ई-मेडिकल वीजा, ई-मेडिकल अटेंडेंट वीजा, ई-आयुष वीजा, ई-आयुष अटेंडेंट वीजा, ई-स्टूडेंट वीजा और ई-स्टूडेंट एक्स वीजा श्रेणियां हैं। सभी स्टेकहोल्डरों के परामर्श से यात्री यातायात, अवसंरचना और जनशक्ति संबंधी आवश्यकताओं के आकलन तथा आवश्यक भौतिक एवं इलेक्ट्रॉनिक अवसंरचना और जनशक्ति की उपलब्धता सुनिश्चित करने के बाद, ई-वीजा सेवाएँ अंतर्राष्ट्रीय चेक पोस्टों, जिनमें पत्तनों जहाँ क्रूज को भी अनुमति है, पर प्रदान की जाती है| यह एक सतत प्रक्रिया है।

******